कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः न–9/सीएफओ(स्कू0भ0मा0)–D-PE-143-2023 दिनांकः अगस्त 10 , 2023

सेवा में,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
जनपद–देहरादून।

विषय आपके पत्र संख्या–C-0103/22-23 व मानचित्र संख्या–MAP/P/C/0151/23-24 दिनोंक 09.06.2023 के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह मैमोरियल एजुकेशनल सोसाईटी द्वारा Kh. No-121, 121 MIN, 122, 123, 124 & 125, East Hope Town, Tehsil-Vikasnagar Pargana-Pachwa Doon, जनपद देहरादून में कुल प्लॉट क्षेत्रफल 9901.72 वर्गमीटर में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति/आपत्ति के प्रेषण बावत।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र संख्या– C-0103/22-23 व मानचित्र संख्या–MAP/P/C/0151/23-24 दिनोंक 09.06.2023 एवं आवेदक द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 88705913 दिनांक 29.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि चौधरी चरण सिंह मैमोरियल एजुकेशनल सोसाईटी द्वारा Kh. No-121, 121 MIN, 122, 123, 124 & 125, East Hope Town, Tehsil-Vikasnagar Pargana-Pachwa Doon, जनपद देहरादून में कुल प्लॉट क्षेत्रफल 9901.72 वर्गमीटर में शैक्षणिक भवन मानचित्र के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र संलग्न करते हुए आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा निरीक्षण कराया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक अगस्त 04, 2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल में शैक्षणिक भवन (भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल) में प्रस्तावित है। जिसका कुल प्लॉट एरिया–9901.72 वर्गमीटर है व कवर्ड एरिया–6556.74 वर्गमीटर है। जिस तक पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध है। जिस पर अग्निशमन विभाग के भारी वाहन आसानी से आवागमन कर सकते है। प्रश्नगत स्थल अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित पाया गया। प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। आवेदक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत स्थल पर शैक्षणिक भवन के निर्माण के समय/निर्माणोपरान्त निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

1. भवन निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 (सशोधित–2016) पार्ट–3 एवं पार्ट–4 में निहित मानको तथा उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि (यथा संशोधित) में निहित मानको के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. मानको के अनुसार सैट बैक अग्र भाग–12 मीटर, पृष्ठ सैट बैक–06 मीटर, पार्श्व (प्रथम)–06 मीटर, पार्श्व (द्वितीय)–06 मीटर, आन्तरिक जीने की न्यूनतम चौड़ाई–1.50 मीटर तथा कॉरिडोर की न्यूनतम चौड़ाई–02 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक होगा।
3. प्रस्तावित भवन के टैरेस में 10 हजार लीटर क्षमता के टैरेस टैंक व 450 ली. प्रति मिनट क्षमता का टैरिस पम्प का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
4. प्रस्तावित भवन के निश्चित दूरी पर मानकानुसार होजरील तथा मैनुवली आपरेटर इलैक्ट्रिोनिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित भवन में यदि फाल्स सिलिंग का प्रयोग किया जाता है तो मानकानुसार अप एवं डाउन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये जाए। इसके अतिरिक्त भवन के टैरिस में 05 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक व 450 ली. प्रति मिनट क्षमता का टैरिस पम्प का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
6. प्रस्तावित स्थल पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2016 पार्ट–4 फायर एण्ड सेफटी के पृष्ठ संख्या–32 के Table 5 Travel Distance (Based on Occupancy and Construction Type) Clauses 4.4.2.1 and 4.4.2.2 में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रुप से पालन करना आवश्यक होगा।
7. प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिग कोड ऑफ इण्डिया 2016 पार्ट–4 फायर एण्ड सेफ्टी 4.4.2.5. के पृष्ठ संख्या–37 के Table 6 Pressurization of Staircases and Lift Lobbies में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रुप से पालन करना आवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित भवन में न्यूनतम दो जीने का प्राविधान किया जाए, जो कि एक–दूसरे के विपरीत दिशा में हो। जिसमें से एक जीना भवन के बाहरी दिवार पर बना हो, जो कि खुले स्थान पर खुलते हो। भवन में ट्रैवल्स डिसटेन्स एवं कवर्ड एरिया के हिसाब से अतिरिक्त जीने का प्राविधान तथा भवन में मानकों के अनुसार फायर चैक डोर (Fire Check Door) का प्राविधान किया जाए।
9. प्रस्तावित भवन के लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
10. प्रस्तावित भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
11. इलैक्ट्रिक पैनल की सुरक्षा हेतु उपर्युक्त क्षमता के सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाए।
12. सुझाये गये समस्त उपकरण/यंत्र भारतीय मानक (आई0एस0 2190:1992) द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

–क्रमशः 02–

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं/शर्तो एंव उपनिदेशक (तकनीकी) उत्तराखण्ड अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड देहरादून महोदय के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 09.08.2023 तथा अग्निशमन अधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु अग्निसुरक्षा एवं जीवरखा के दृष्टिकोण से स्थल का मानचित्र अनुमोदन किया जाता है Pre-Establishment की संस्तुति की जाती है।

अतः आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

(वी० बी० यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

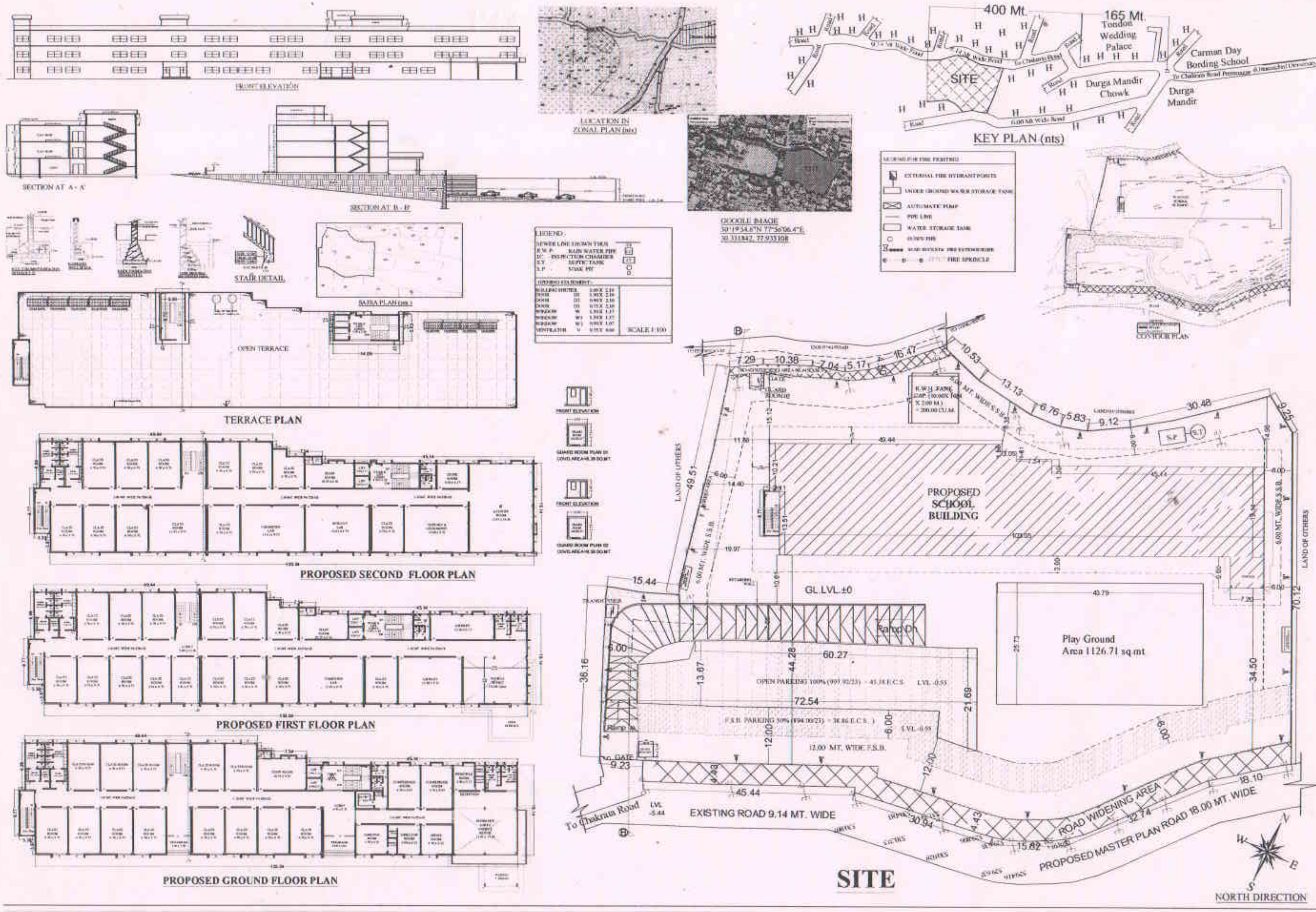

अस्थाई अनुमोदन

मुख्य अभियंता अधिकारी
देहरादून

JOB TITLE

PROPOSED PRIMARY SCHOOL BUILDING PLAN OF CHAUDHARY CHARAN SINGH MEMORIAL EDUCATIONAL SOCIETY THROUGH CHAIRMAN CHAUDHARY DARIYAV SINGH S/O LATE SH. RAM SINGH, SITUATED AT LAND KHASRA NO. 121, 121 MIN, 122, 123, 124 & 125 VILLAGE EAST HOPE TOWN, TAHASIL, VIKASNAGAR, PARAGANA - PACHWA- DOON, DISTRICT -DEHRADUN. (UTTARAKHAND)

TOTAL PLOT AREA	= 10543.00 Sqmt
AREA UNDER ROAD WIDENING	= 641.28 Sqmt
NET PLOT AREA	= 9901.72 Sqmt.
PROPOSED COVD. AREA OF GROUND FLOOR	= 2277.46 Sqmt.
PROPOSED COVD. AREA OF FIRST FLOOR (Excl. stair+ lift area =120.34 sq.mt.)	= 2139.64 Sqmt.
PROPOSED COV. AREA OF SECOND FLOOR (Excl. stair+ lift+ area=120.34sq.mt.)	= 2139.64 Sqmt.
TOTAL COV. AREA ALL FLOOR	= 6556.74 Sqmt.
OPEN AREA	= 7624.26 Sq.mt.
GROUND COVERAG	= 23.00 %
F.A.R.	= 0.66

PARKING AREA CALCULATION

PARKING REQUIRED
TOTAL COVD AREA (Total Covd.AreaX1.25/100)
PARKING REQUIRED = 6418.92 X 1.25/100= 80.23 E.C.S
TOTAL PARKING REQUIRED = 80.23 E.C.S

PARKING PROVIDED
F.S.B. PARKING 50% (894.00/23) = 38.86 E.C.S.
OPEN PARKING 100% ((997.92/23) = 43.38 E.C.S.)

TOTAL PROVIDED PARKING (38.86+43.38) = 82.24 E.C.S.

RAIN WATER HARVESTING TANK
TOTAL GROUND COVERAGE AREA = 9901.72 SQMT
(R.W.H.T. CAP. FOR 400SQ.M. COVD. = 3.50 CUM.)
(R.W.H.T. REMANING = (9901.72 -400) = 9501.72 SQ.M.
REQUIRED R.W.H.T. CAP. = 9501.72/50X1 = 190.03 CUM
TOTAL R.W.H. REQ. = 190.03CUM.
PROVIDED NO. OF R.W.H. TANK
CAP. (10.00M. X 10.00M. X 2.00 M.) = 200.00 CU.M.
TOTAL PROVIDED OF R.W.H.TANK = 200.00 CU.M.

NOTE:
CERTIFIED THAT:
1. THE BUILDING PLAN SUBMITTED FOR APPROVAL SATISFY THE SAFETY REQUIREMENTS AS STIPULATED IN ANNEXURE - II AND THE INFORMATION GIVEN IS FACTUALLY CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.
2. THE STRUCTURAL DESIGN INCLUDING SAFETY FROM NATURAL HAZARDS HAS BEEN PREPARED BY DULY QUALIFIED STRUCTURAL ENGINEER.

SIG. OF APPLICANT:

LICENSED ARCHITECT INDIA

SIG. OF ARCHITECT | SIG. OF STRUCT